न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 227/2023 — अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. देमूकवंर पत्नी नखतदान 2. मोर कंवर पत्नी इन्द्रदान 3. प्रवीण पुत्र उगमदान जाति चारण, निवासी बरसींगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. फतेहसिंह पुत्र गोमसिंह जाति राजपुत, निवासी रणधा तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर 5. ओकारसिंह पुत्र दलाराम 6. गंगाराम पुत्र देदाराम 7. दलाराम पुत्र देदाराम 8. दिनेशकुमार पुत्र दलाराम 9. शिवलाल पुत्र दलाराम जाति जाट, निवासी जालीपा तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. अधिशाषी अभियंता सार्व. निर्माण विभाग खण्ड शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री भगवानदास गोयल।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 13.10.2023

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम बरसींगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 206/166, 171/62, 172/62, 165/55 रकबा क्रमशः 6.5478, 3.8202, 29.2102, 3.3103 हैक्टेयर की पैतृक भूमि आई हुई है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर में प्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि आवागमन हेतु फतेहगढ से हरसाणी जाने वाली डामर सड़क हेतु अपने खाता में से राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त समर्पित भूमि की तरमीम राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर सड़क अनुसार नहीं की जाकर बिना मौका मुआयना की गई, जिससे मौके पर संचालित सड़क मार्ग एवं कटाण मार्ग में भिन्नता आ गई है। राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में मौके पर संचालित सड़क अनुसार तरमीम नहीं की गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई गलत त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर माफिक डामर सड़क एवं वास्तविक मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 2 अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग शिव द्वारा फतेहगढ से हरसाणी सड़क मार्ग में तरमीम या कटाण वर्तमान में मौके पर बनी सड़क के अनुसार किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर सड़क मार्ग उपरोक्त खसरा नम्बर 206/166, 171/62, 172/62, 165/55 के बीच में से गुजर रही है, जिसके खसरा नम्बर 55, 62 है। उक्त सड़क मार्ग के खसरा नम्बर 55 व 62 की मौके पर विद्यमान तरमीम एवं लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है, जिससे संलग्न नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

...ट 'ब' अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 2 ... भी वर्तमान मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार मौके पर विद्यमान सड़क अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर बनी सड़क एवं वास्तविक मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है तथा विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी जवाब प्रस्तुत कर वास्तविक मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बरसींगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 206/166, 171/62, 172/62, 165/55 रकबा क्रमशः 6.5478, 3.8202, 29. 2102, 3.3103 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 55 व 62 किस्म गैर मुमकिन सड़क भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 13.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner